भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका

भारत एक बहुभाषी देश है। स्वतंत्रता के उपरान्त 1951 की जनगणनानुसार भारत में 771 भाषाओं एवं स्थानीय बोलियों की विद्यमानता थी जो आज लगभग 1652 भाषा तथा बोलियों तक पहुँच चुकी है। इनमें 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल कर अधिकृत भाषाओं का दर्जा दिया गया है। भारत की विविधता समाज का अनूठा अभिलक्षण हैं, किंतु यही विशेषता तब संकट बन जाती है, जब विविध भाषा-भाषी लोगों के मध्य द्वेष उत्पन्न हो। भाषागत आधार पर संकुचित भावनाओं से दबाव गुटों का उद्‌भव, राज्यों की मांग तथा राजनीतिक आंदोलन राष्ट्रीय एकता के लिए संकट उत्पन्न कर देते हैं। भाषायी आधार पर विवादों के निवारण के लिए एक ऐसी संपर्क भाषा जो विविध भाषा-भाषी व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांध सके, आवश्यक है।

❒ भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान :

भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य राज भाषा (Official Language) संबंधी उपबंध वर्णित है, जो निम्न है -

❖ **अनुच्छेद 343 : संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।** संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संघ के सरकारी कार्यों में यथापूर्व जारी रहेगा। 15 वर्षों के उपरांत भी संसद किसी विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग चालू रखने की अनुमति दे सकती है, किंतु 1963 में अनुच्छेद 343(3) के अधीन राजभाषा अधिनियम के अनुसार 1965 के बाद भी अंग्रेजी अनिश्चित काल तक राजभाषा बनी रहेगी।

❖ **अनुच्छेद 344 :** संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित विषयों पर सलाह देने के लिए एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति का अधिकार है। यह आयोग संविधान के अंगीकृत होने के पाँच वर्ष बाद तथा 10 वर्ष के बाद राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।

❖ **आयोग राष्ट्रपति को निम्न सिफारिशें करेगा :**

- ♦ संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग के बारे में।
- ♦ संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन के बारे में।
- ♦ अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्ही प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में।
- ♦ संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के बारे में।
- ♦ संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा।

- ❖ **अनुच्छेद 345 :** राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्ही शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार कर सकेगा।

- ❖ **अनुच्छेद 346 :** एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा।

- ❖ **अनुच्छेद 347 :** राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को राज्य में सर्वत्र या किसी भाग में शासकीय प्रयोजन हेतु मान्यता दी जाए।

- ❖ **अनुच्छेद 348 :** जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करें तब तक –

1. उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होगी।
2. संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों में पुर:स्थापित विधेयक व उनके संशोधन, राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश तथा संसद व विधानमंडल द्वारा विधि के अधीन बनाए गए सभी आदेश, नियम, विनियम और उपविधियों की भाषा अंग्रेजी होगी।

- ❖ **अनुच्छेद 349 :** भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया।

- ❖ **अनुच्छेद 350 :** प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ में या राज्य के प्रयोग में होने वाली किसी भाषा में आवेदन देने का हकदार होगा।

- ❖ **अनुच्छेद 350 (क) :** प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।

- ❖ **अनुच्छेद 350 (ख) :** भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। यह अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण कर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा।

- ❖ **अनुच्छेद 351 :** संघ का कर्त्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करें जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

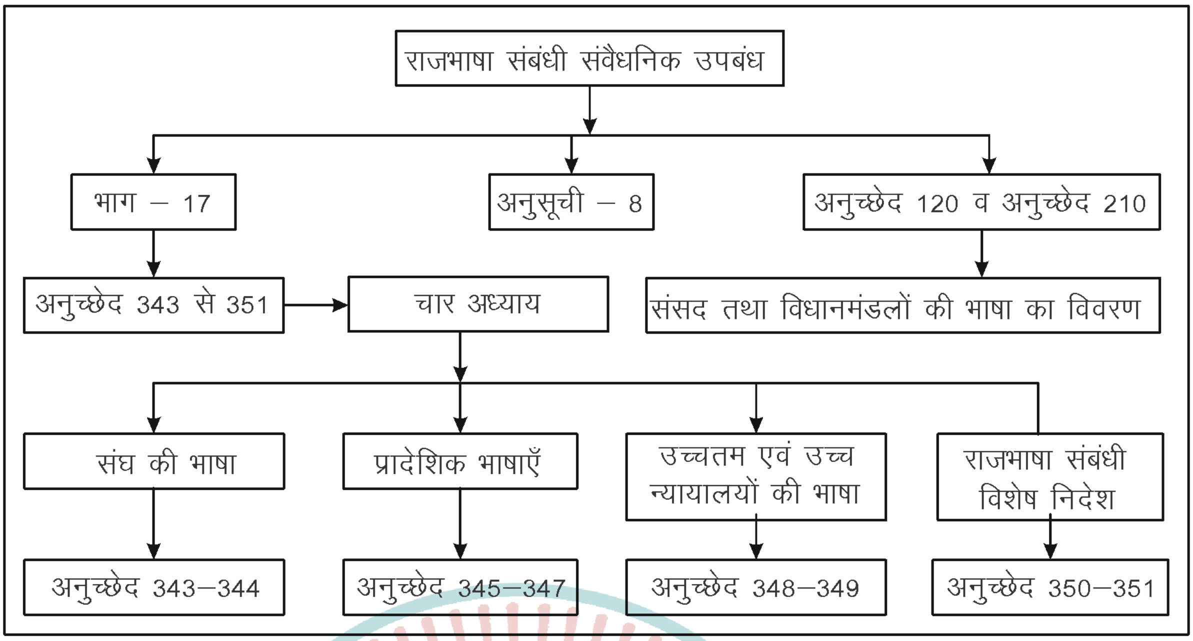

❒ **राजभाषा का अर्थ :** राजभाषा का सीधा-सा अर्थ है-**राजकाज** अर्थात् शासन-प्रशासन अथवा सरकारी कामकाज की भाषा। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है जिसका अर्थ है- सामान्य शासन-प्रशासन, न्याय प्रक्रिया, संसद-विधानमंडल एवं सरकारी कार्यालयों में प्रयोग हेतु संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, लिपि एवं भारतीय अंकों का रूप ही राजभाषा है। संविधान सभा की स्वीकृति से **14 सितम्बर 1949 को हिंदी राजभाषा** बनी।

❖ **राष्ट्रभाषा का अर्थ :** एक राष्ट्र में समस्त राष्ट्रीय तत्वों को व्यक्त करने वाली भाषा जो राष्ट्र में भावनात्मक एकता कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हो राष्ट्रभाषा है।

❖ **राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर :**

1. राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, जबकि राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द। इस प्रकार राजभाषा प्रशासन की भाषा है तथा राष्ट्रभाषा जनता की भाषा।
2. समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति राष्ट्रभाषा में होती है, जबकि केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है।
3. राजभाषा की शब्दावली सीमित है, जबकि राष्ट्रभाषा की शब्दावली विस्तृत है।
4. राजभाषा नियमों से बंधी होती है, जबकि राष्ट्रभाषा स्वतंत्र या मुक्त प्रकृति की होती है।
5. राजभाषा में शब्दों का प्रवेश, निर्माण अथवा अनुकूलन विद्वानों एवं विशेषज्ञों की समिति की राय से किया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा में शब्द समाज से आते हैं तथा प्रचलन के आधार पर रूढ़ होकर मान्यता प्राप्त करते हैं। इनके निर्माण में सभी का हाथ होता है।

6. राजभाषा, हिंदी भाषा का प्रयोजन मूलक रूप है, इसलिए तकनीकी सृजन है; जबकि राष्ट्रभाषा, हिंदी भाषा का स्वाभाविक एवं पारंपरिक रूप है।

7. राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग उत्तरोत्तर अंग्रेजी की जगह पर हो रहा है जबकि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग स्वाभाविक रूप से देश-विदेश सर्वत्र हो रहा है।

❒ **हिंदी को राजभाषा बनाने के कारण :** भारत बहुभाषा-भाषी राष्ट्र है। यहाँ हिंदी सहित कई भाषाओं की समृद्ध परंपरा है। इनमें हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है, जो सभी भाषा-भाषियों के बीच सेतु का काम करती है। इसे बोलना, समझना, लिखना, पढ़ना अपेक्षाकृत आसान है। अत: हिंदी को राजभाषा बनाने के जो कारण परिलक्षित होते हैं, वे निम्न है –

❖ हिंदी सभी भागों में बोली तथा समझी जाने वाली आम जनता की भाषा है।

❖ क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग अपने प्रदेश तक ही सीमित है, जबकि हिंदी का सरोकार पूरे हिंद से है।

❖ हिंदी को सभी वर्गों का मुक्त रूप से समर्थन मिला है।

❖ अभिव्यक्ति की क्षमता में हिंदी अत्यंत समृद्ध भाषा है।

❖ हिंदी की महत्ता इसी बात से सिद्ध हो जाती है कि इस भाषा में संचित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित अध्ययन-अध्यापन देश-विदेश में यूरोप वासियों के द्वारा प्रारंभ हुआ।

❖ हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में सहयोगी भाषा रही है जबकि अंग्रेजी भाषा ने अन्य भारतीय भाषाओं के विकसित स्वरूप को दबाए रखा।

❖ हिंदी अपने लेखन और व्याकरणिक संरचना में संस्कृत के सर्वाधिक निकट है। इस तरह इसका विकास भारतीय भाषाओं की परंपरा में हुआ है।

❖ हिंदी की लिपि देवनागरी, वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त लिपि है। संस्कृत के कारण यह लिपि विश्वव्यापी है।

❖ राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम के रूप में हिंदी का प्रचार-प्रसार कम समय में ही काफी बढ़ गया था। यह स्वाधीनता आंदोलन में संपर्क भाषा थी।

❖ हिंदी बोलने वालों की संख्या भारत में सर्वाधिक है। लोकतंत्र में शासक और शासित की भाषा एक ही होनी चाहिए।

❖ अन्य भाषाओं का प्रचार-प्रसार हिंदी में अनुवाद के कारण ही बढ़ रहा है।

❐ भाषा में भाषा व राजनीति के अंत:क्रिया के परिणाम :

❖ **संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता :** भारतीय राजनीति में भाषा के प्रश्न का केन्द्र बिन्दु राजभाषा और क्षेत्रीय भाषा का द्वंद्व तथा अंग्रेजी का बने रहना है। देश की जनसंख्या का लगभग 45 प्रतिशत भाग हिंदी बोलने या जानने वाले हैं। अत: हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है, किंतु प्रादेशिक भाषाई समूहों की सुविधा के लिए हिंदी से भिन्न अन्य प्रादेशिक भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा राज्य चुन सकते हैं।

❖ **राज्यों का पुनर्गठन : भाषा के आधार पर :** 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माना कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। अनेक प्रांतीय कांग्रेस-समितियों को भाषाई आधार पर बनाया गया था। परंतु स्वतंत्रता उपरांत रजवाड़ों की समस्या, बंटवारा आदि के कारण भाषावार राज्यों के गठन के मसलों को स्थगित कर दिया गया।

- **आंध्रप्रदेश का गठन :** भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से मना करने पर पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में वर्तमान के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। विशाल आंध्र आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगुभाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। कांग्रेस के नेता एवं दिग्गज गाँधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख-हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे आंध्र प्रदेश में जगह-जगह हिंसक घटनाएँ हुई। आखिरकार दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री ने आंध्रप्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की।

- **राज्य पुनर्गठन आयोग :** आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना ने भाषाई रूप से अलग राज्यों की स्थापना के लिए अन्य क्षेत्रों में भी मांग को बढ़ाया। भारत सरकार द्वारा इस समस्या की जाँच हेतु दिसम्बर 1953 में फैजल अली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। के. एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू इसके दो सदस्य थे।

- **सिफारिशें :** दिसम्बर 1955 में इस आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की गयी तथा इसमें निम्न सिफारिशें दी गई –

(i) चार प्रमुख कारकों की पहचान की गई, जिन पर राज्य पुनर्गठन की किसी भी योजना में विचार किया जाना चाहिए –

- देश की एकता और सुरक्षा का संरक्षण एवं मजबूती।

- भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता।
- वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक विचार।
- प्रत्येक राज्य के साथ-साथ पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना।

(ii) मूल संविधान के तहत राज्यों और क्षेत्रों के चार प्रकार का वर्गीकरण समाप्त करने और 16 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों के निर्माण का सुझाव दिया।

(iii) राजप्रमुख के पद और रियासतों के साथ विशेष समझौतों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

(iv) अनुच्छेद 371 के अनुसार भारत सरकार द्वारा सामान्य नियंत्रण को निरस्त किया जाना चाहिए।

- **महत्व :**

(i) इसने 'एक भाषा, एक राज्य' के सिद्धांत को खारिज कर दिया।

(ii) राज्यों के पुनर्गठन में भारत की एकता को प्राथमिक विचार के रूप में देखा जाएगा।

(iii) भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए समरूप आधार मिला। इससे देश की एकता और ज्यादा मजबूत हुई। इसके द्वारा विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। भारत के लोकतांत्रिक होने का एक व्यापक अर्थ है विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई है।

❖ **राजभाषा आयोग :** संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित विषयों पर सलाह देने के लिए एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति का अधिकार है। उक्त प्रावधानों के अनुसार श्री बी.जी. खरे की अध्यक्षता में 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गयी। राजभाषा आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में 1960 में राष्ट्रपति द्वारा निर्देश जारी किये गए।

❖ **राजभाषा अधिनियम, 1963 :** इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 343(3) के अनुसार 1965 के बाद भी अंग्रेजी अनिश्चित काल तक शासन में उपयोग की भाषा बनी रहेगी। इस प्रकार केवल हिंदी को पूर्णरूप से राजभाषा के रूप से प्रतिष्ठित करने की अवधि को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

- 1967 के राजभाषा संशोधन अधिनियम को पारित कर भाषायी नीति में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया गया है। त्रिभाषा सूत्र अपनाते हुए यह निश्चय किया गया है कि प्रत्येक राज्य अपने राज्य की भाषा में काम करने के लिए स्वतंत्र होगा। राज्य के विद्यालयों में पढ़ाई का माध्यम उस राज्य की भाषा होगी। अंतर्राज्यीय पत्र व्यवहार में सामान्यत: अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा और यदि पत्र व्यवहार हिंदी में होगा तो उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद आवश्यक रूप से संलग्न होगा। सरकारी सेवाओं की परीक्षाएँ हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य प्रादेशिक भाषा में ली जाएगी तथा हिंदी का क्रमिक विकास का निर्णय लिया गया।

- उक्त त्रिभाषा सूत्र की स्थापना करने वाले राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 का उत्तर के हिंदी भाषी राज्यों तथा दक्षिण के अहिंदी भाषी राज्यों ने विरोध किया। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया। एक बहुभाषायी राष्ट्र में विविध भाषा-भाषायी समुदायों में सामंजस्य के प्रावधानों के बावजूद भारत में भाषा का प्रश्न राजनीतिक प्रश्न बन गया है।

❖ **त्रिभाषा सूत्र :** किसी भी देश में बहुभाषिकता की स्थिति में एक से अधिक भाषा का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाओं के विकास हेतु माध्यमिक शिक्षा स्तर पर त्रिभाषा शिक्षण पद्धति को लागू करने की आवश्यकता लगातार बनी रही। कोठारी आयोग की अनुशंसा पर राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 में त्रिभाषा सूत्र लागू करने का फैसला लिया गया।

◆ **त्रिभाषा सूत्र के अनुसार माध्यमिक स्तर पर :**

- **हिंदी भाषी क्षेत्रों में :** हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा, वरीयता दक्षिण भारत की भाषाओं में से एक है।

- **अहिंदी भाषी क्षेत्रों में :** प्रादेशिक भाषा एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी पढ़नी चाहिए।

◆ **त्रिभाषा सूत्र का महत्व या आवश्यकता :**

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बहुउद्देश्यीयता और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना है।

- हिंदी और गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाषा के अंतर को समाप्त करना है।

- प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि।

- साझा व सामुदायिक पहचान का निर्माण।

- त्रिभाषा सूत्र का विरोध करते हुए भाषायी आधार पर राजनीतिक आंदोलनों का संचालन किया गया। एक ओर, उत्तर भारत के राज्यों – उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान में अंग्रेजी विरोधी प्रदर्शन एवं उपद्रव हुए, दूसरी ओर दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु से प्रारंभ हुआ हिंदी विरोधी आंदोलन आंध्र एवं मैसूर तक प्रसारित हुआ।

❖ **भाषा के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन :** भाषा के आधार पर राजनीतिक दलों की राजनीति ने स्थानीयता की संकीर्ण मनोवृत्ति को बढ़ावा दिया हैं। जैसे – तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने 1965 में एक विशाल भाषा आंदोलन को प्रायोजित किया। अंग्रेजी को समाप्त कर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के विरोध में यह आंदोलन दक्षिण भारत के राजनीतिक दलों का आंदोलन बन गया। 1967 के चुनाव में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने भाषा आंदोलन को पृष्ठभूमि बनाते हुए चुनाव लड़कर राजनीतिक सफलता प्राप्त की। हिंदी विरोध के नारे से दक्षिण के राजनीतिक दलों ने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास किया।

❖ **बंगाली और असमिया भाषा विवाद :** असम में वर्षों से चले आ रहे बंगाली और असमिया भाषा विवाद ने राज्य में उग्रवाद को पनपाने में बड़ा योगदान दिया है। भाषायी राज्यों के विवाद न केवल स्थानीय स्तर पर मतभेद व संघर्षों को जन्म देते हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी चोट पहुँचाते हैं।

❒ भाषावाद के दुष्परिणाम :

❖ **देश की एकता व अखण्डता पर चोट :** भाषा के आधार पर नये राज्यों की मांग तथा भारतीय शासन को चुनौती देने वाले आंदोलनों ने देश की एकता व अखंडता को चोट पहुँचाई है। देश के विविध प्रांतों में भाषागत विद्वेष ने खेदजनक स्थितियाँ उत्पन्न की है। ऐसे सभी विरोधों एवं भाषायी अस्मिता की पहचान के आंदोलनों ने राष्ट्रविरोधी आंदोलनों का रूप ले लिया है।

❖ **धरतीपुत्र की अवधारणा :** राजनीति में भाषावाद एवं क्षेत्रवाद के कारण ही धरतीपुत्र की धारणा का प्रचलन हुआ, जिसके तहत राज्य के संसाधनों, रोजगार के अवसरों का प्रादेशिक भाषा–भाषियों के पक्ष में आवंटन तथा अन्य भाषा–भाषियों के प्रति असहिष्णुता की प्रवृत्ति ने भाषागत समुदायों में अंतर्कलह की प्रवृत्ति को जन्म दिया है।

❖ **राजनीतिक संकीर्णता तथा स्वार्थ :** भाषावाद के कारण ही देश की भाषा हिंदी के विरोध की राजनीति के आधार पर कुछ राजनैतिक दलों ने अपने अस्तित्व को कायम रखा है। जब कभी हिंदी

भाषा के विकास, गौरव अथवा प्रचलन की चर्चा होती है तब उसे संकीर्ण एवं क्षेत्रीय भाषाओं का विरोध मान लिया जाता है।

- ❖ **भारत की राजनीति में भाषा से जुड़ी समस्याएँ :** हिंदी के विरोध की नीति, भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग, भाषा के आधार पर उत्तर एवं दक्षिण की संकुचित भावनाएँ, भाषा के आधार पर दबाव गुटों का उदय, अन्य भाषाओं की मान्यता की मांग, भाषा के आधार पर चुनावी राजनीति, भाषायी अल्पसंख्यकों का संरक्षण, भाषायी आधार पर संकीर्ण भावनाएँ एवं राष्ट्रीय एकता का विरोध आदि प्रमुख है।

- अहिंदी भाषी क्षेत्रों में राजभाषा के रूप में हिंदी का विरोध, भाषा के आधार पर राजनीतिक दलों द्वारा संकीर्ण राजनीतिक हितों को प्रश्रय देना एवं भाषायी राज्यों के विवाद आदि राष्ट्रीय एकीकृत ढाँचे के सामने चुनौती है। स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति में भाषा के नवमूलक प्रश्न को राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित कारकों एवं तत्वों ने प्रोत्साहित किया हैं। इन तत्वों ने देश की राजनीति में राजभाषा के प्रश्न अथवा प्रादेशिक भाषाओं को राजभाषा की चुनौती तथा भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दों का कार्य किया है। बहुभाषी राष्ट्र के रूप में भाषाओं का वैविध्य भारत का अनूठा लक्षण है, जिसे दलीय राजनीति से ग्रस्त राजनीतिक दलों ने परस्पर अंतर्कलह का अभियंत्र बना दिया है।

❒ भाषावाद की समस्या के समाधान के उपाय :

- ❖ **परस्पर समझाइश व प्रेरित करना :** बहुसंख्यक हिंदी भाषा-भाषियों का दायित्व बनता है कि अहिंदी भाषी राज्यों को समझाइश द्वारा प्रेरित करें कि हिंदी किसी भी रूप में प्रादेशिक भाषा के लिए चुनौती नहीं बल्कि सहायक है।
- ❖ हिंदी का प्रचार-प्रसार सुनियोजित तरीके से सभी को विश्वास में लेकर किया जाए।
- ❖ भाषायी आदान-प्रदान हेतु सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तार किया जाए।
- ❖ पर्यटन को बढ़ावा देकर हिंदी की आवश्यकता को व्यावहारिक बनाया जाए।
- ❖ त्रिभाषा फॉर्मूला व्यवस्थित रूप में केन्द्र व राज्यों के स्तर पर सुचारू रूप से लागू किया जाए।
- ❖ प्रादेशिक भाषाएँ भी हिंदी के प्रसार के लिए सहायक हो सकती है, उसी दिशा में उनका भी विस्तार किया जाए।

- ❖ राजनीतिक संकीर्णताएँ समाप्त कर, राष्ट्रीय हित में भाषावाद की समस्या का हल ढूँढ़ा जाए।
- ❖ आंग्ल भाषा का प्रशासनिक प्रयोजनार्थ एवं अनुवाद की सीमाओं तक ही उपयोग हो।
- ❖ भाषाएँ संप्रेषण का माध्यम है, ये परस्पर जोड़ती है, तोड़ती नहीं; यह भाव देशवासियों के मन में जगाना होगा।
- ❖ भाषा के आधार पर राजनीतिक दलों का बहिष्कार किया जाये तथा ऐसे सभी तत्त्वों को प्रशासनिक संस्थाओं के माध्यम से हतोत्साहित किया जाये।
- ❖ विविध राज्यों के मध्य सांस्कृतिक आदान–प्रदान, युवा खेलों को प्रोत्साहन एवं क्षेत्रीय भाषाओं के वैविध्य का विस्तार एवं संपर्क सूत्रता से भाषावाद की उपेक्षा की जा सकती है।
- ❖ प्रादेशिक भाषाओं के विकास हेतु प्रोत्साहन दिया जाए। यह आवश्यक है कि हम प्रत्येक भारतीय को अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ सीखने के लिए प्रेरित करें।
- ❖ भाषा के राजनीतिकरण को रोका जाए।
- ❖ बहुमत के आधार पर नहीं, सर्वसम्मति से गोलमेज सम्मेलन बुलाकर भाषायी विवाद का समाधान किया जाए।

***